महोदय दौरे पर है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 10-4-18 को पेश हो।

10-4-18 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 17-5-18 को पेश हो।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के मध्य ग्राम पं० बकावली में पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। जबकि अ० प० प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदकगण द्वारा अ० प० प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदकगण का मौजा खा० मौजूदा के काबिज है ग्राम बकावली में स्थित खा० नं० 1080/0.10, 1081/4.19, किता 2 कुल रकबा 5.29 है० स्थित है जो आवेदकगण व अन्य के कब्जे की भूमि है तथा पैतृक भूमि है। मौजूदा में होने पर वाद से 1326 दि० 15.11.2010 के आवेदकगण अनावेदक एवं निकट बनावली कमला 1/6 हिस्से का खातेदार है। मौजूदा की किरण बनावली व कमला ने अपना अपना हिस्सा अनावेदक नं० 1 के पक्ष में हक त्याग कर दिया है। भूमि आवेदक के 5/12 अनावेदक नं० 2 का अनावेदक के 5/12 हिस्सा का खातेदार है। वास्तव भूमि का मौखिक विभाजन का अपने हिस्से पर आबाद है। विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। नं० 2 काबी दखल है जो अनावेदक नं० 1 के साथ अनावेदक नं० 1 द्वारा अनावेदक नं० 2 की न तो देखरेख न खर्चा देता है अर्थात किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं करता है। अनावेदक को समझा के लोगों

न करने बाद समझौता परन्तु अपना वादी रहा
तथा आवेदकगण को परेशान करने तथा गलत
नियत से आवेदकगण की कृषि भूमि हड़पना चाहता है
आये दिन कृषि भूमि की सीमा व रास्ते लेने को
गलत बताता रहता है बदनीयत प्रवृत्ति का व्यक्ति तथा
प्रभावशाली होने से आवेदकगण के कब्जे काश्त में
दखलन्दाजी करता रहता है किन्तु 10.2.18 को एकतरफा
धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करूंगा अतः
आवेदकगण गण के कब्जे काश्त उपभोग उपयोग
में बाधा पैदा नहीं करे तथा भूमि को नुकसान कुर्क
कुर्क नहीं करे रिकार्ड व मौके की स्थिति बनाये
रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के पालन किया
जावे।

अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वर्णित
किया कि नारायणी देवी अनावेदक की माता है
अनावेदक अपनी माता की सेवा करना चाहता है परन्तु
आवेदकगण के बहकावे में आकर अनावेदक को
उसके हिस्से से वंचित करना चाहती है। अनावेदक
अपनी माता को ~~सही~~ उपयोग लाभ रखने के लिए तैयार है
आवेदक द्वारा महज रिकार्ड का अनुचित लाभ के
लिए यह दावा पेश किया है आवेदक की नियत खराब
है महज अनावेदक की जमीन हड़पने के लिए
यह दावा पेश किया है प्रार्थना अस्वीकार
किया जावे बहस वकील पक्षकारान सुनी गई।
मूल वाद विचाराधीन है जिसका निर्णय पक्षकारान
द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत दस्तावेज के गुणावगुण
के आधार पर किया जायेगा अतः साक्ष्यकाल में वाद
बहुलता नहीं बढ़े आवेदकगण व अनावेदक दोनों पक्षों
को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा मूल दावा निर्णय तक पाबन्द किया जाता है
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है तथा वाद
वकमीश कार्यवाही जारी दाखिल दफ्तर हो निर्णय मुझे
लिखाया दि० 8.6.18 को सुनाया गया।